फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सन्तोष बनाम गणेश

संख्या : 45/09 अर्जी

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20-11-2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०प० उपस्थित। आपत्ति कुरैजात खारिज की जाकर मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट का अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 45/2009 वाद प्रस्तुति दिनांक : 24.04.2009

संतोष कुमार पुत्र श्री बृजमोहन व्यास जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी प्लॉट नंबर डी–29, प्रेम कॉलोनी, पानीपेच शास्त्री नगर, जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. गणेश
2. राधेश्याम
3. रामनारायण
4. रामनिवास

   समस्त पुत्रान् भूराराम निवासीगण ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. प्रभाती देवी पत्नी भूराराम निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. भैरूलाल पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी हाथोज, जिला जयपुर।
7. रामेश्वर पुत्र घनश्याम उर्फ घासीराम जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. रामसहाय पुत्र स्व. भूरा
11. श्रवण पुत्र स्व. भूरा

    जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा अंतर्गत धारा – 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

दिनांक 20.11.2024

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके राजस्व ग्राम बिशनपुरा, पटवार हल्का [illegible]हपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर [illegible] 155 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 157 रकबा 7.19 हैक्टेयर, ख[illegible] 158 रक[illegible]36 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/292 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 7.60 [illegible]टेयर स्थित है जो कि वादग्रस्त भूमि है। उपरोक्त वर्णित भूमि में से खातेदार रामेश्वर पुत्र श्री घनश्याम उर्फ घासीराम के अविभाजित हिस्से 1/4 की संपूर्ण भूमि मय खसरा नंबर 15 रक़बा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चाह.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मय इसमें लगे हुए विद्युत मोटर पम्पसेट मय बिजल कनेक्शन सहित को वादी ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 24.02.2001 को क्रय किया था और संपूर्ण विक्रयपत्र राशि वादी ने खातेदार रामेश्वर को अदा करके अपने हक में विक्रयपत्र उप–पंजीयक कार्यालय आमेर जयपुर में 24.02.2001 को निष्पादित करा लिया था। तत्पश्चात उक्त विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर की 1/4 हिस्से की भूमि का नामांतरण संख्या 28 दिनांक 22.06.2008 को वादी के हक में खोल दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी अविभाजित 1/4 हिस्से की भूमि का एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का आज तक वादी व अन्य खातेदारों के मध्य कानूनी तौर पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ है और उक्त संपूर्ण भूमि अविभाजित भूमि है। इसलिए वादी के अविभाजित हिस्से को बेचने का अधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को प्राप्त नहीं है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने आपस में साज कर रखी है तथा येन–केन प्रकारेण वादी को उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी ने कई बार 1 लगायत 7 से संपर्क कर उक्त अविभाजित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करने को कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वादी को लगातार टालमटोल करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का अविभाजित 1/4 हिस्सा विधिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है इसलिए वादी उपरोक्त कृषि भूमि का माननीय न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमि की किस्म, मूल्य एवं लगान के आधार पर न्यायिक बंटवारा कराने की एवं स्वयं को अपने 1/4 हिस्से की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वाद में वादीगण ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन की दादरसी चाही है अतः भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार आमेर को प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाया गया है लेकिन उनके खिलाफ मात्र स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जा रहा है। इसी प्रकार उप–पंजीयक आमेर जिनके समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 संपूर्ण भूमि वादग्रस्त को अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि होना जाहिर करते हुए किसी अन्य के हक में विक्रयपत्र का निष्पादन कर दस्तावेज का पंजीयन करा सकते हैं, इसलिए उप–पंजीयक आमेर को भी प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया है।

वादी ने वादपत्र के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल [illegible] 62–65, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रामेश्वर बहक संतोष कुमार दिनांक 24.02.2001 [illegible] के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा नलवी प्रतिवादी [illegible] आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक [illegible]08.2011 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये इसके उपरांत भी एक अंतिम अवसर 200/–रूपये की कॉस्ट पर दिनांक 13.04.2017 को दिया गया। दिनांक 18.05.2017 को कैंप कोर्ट पुनाना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर हाल तहसीलदार जालसू को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा एडवोकेट ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रतिवादीगण/प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य कथन रहा की तहसीलदार ने प्रतिवादीगण को किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं दिया तथा पक्षकरान के कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुये मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात तैयार नही किये तथा तहसीलदार मौके पर नहीं गये। वादी के अधिवक्ता का कथन रहा कि आपत्तिकर्ता को प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व जवाबदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतू कई अवसर दिये गये थे इसके पश्चात विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्रतिवादीगण ने आज दिनांक तक प्राथमिक डिक्री को सक्षम न्यायालय में चुनोति नहीं दी गई है। तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थिति होकर रेवेन्यू बोर्ड रूल्स 18 से 21 की पालना करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट भेजी गई है इसलिए आपत्ति कुर्रेजात खारिज करते हुये वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जालसू द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि पक्षकारान को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। न्यायालय द्वारा कैंप कोर्ट पुनाना में दिनांक 18.05.2017 विधिवत बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किया गया था उसी क्रम तहसीलदार द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट भेजे गये है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया विधि सम्मत नहीं है, ऐसी सुरत में आपत्तिया पोषणीय नहीं है।

अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested

1. गणेश पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, नाना देवी पत्नी प्रभुनारायण हि. 1/6 प्रभुनारायण पुत्र रामचंद्र हि. 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. नि. ग्राम बावडी, तह. व जिला जयपुर बिना रहन प्रभाती देवी पत्नी भूराराम हि. 1/6 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर3

पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन आई. डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा चंपापुरा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, श्रवण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 155 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/292 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 157/2 रकबा 5.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158/2 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

2. संतोष कुमार पुत्र बृजमोहन व्यास जाति ब्राहम्ण सा. हाल निवासी प्लॉट नंबर ड़ी. –29 प्रेम कॉलोनी, पानीपेच जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 157/1 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 हेक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी अंजु वर्मा (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या 45/2009

वाद प्रस्तुति दिनांक : 24.04.2009

संतोष कुमार पुत्र श्री बृजमोहन व्यास जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल निवासी प्लॉट नंबर डी–29, प्रेम कॉलोनी, पानीपेच शास्त्री नगर, जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. गणेश
2. राधेश्याम
3. रामनारायण
4. रामनिवास

   समस्त पुत्रान् भूराराम निवासीगण ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

5. प्रभाती देवी पत्नी भूराराम निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. भैरूलाल पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी हाथोज, जिला जयपुर।
7. रामेश्वर पुत्र घनश्याम उर्फ घासीराम जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. तहसीलदार तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला ज़यपुर।
10. रामसहाय पुत्र स्व. भूरा
11. श्रवण पुत्र स्व. भूरा

   जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

निर्णय दिनांक 20.11.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रक[illegible] डिक्री किया जाता है:–

1. गणेश पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल [illegible] शाखा सरना डूंगर, नाना देवी पत्नी प्रभुनारायण हि. 1/6 प्रभुनारायण पुत्र [illegible] 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. नि. ग्राम बावडी, तह. व जिला जयपुर बिना रहन प्रभाती दे[illegible]त्नी भूराराम हि. 1/6 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन आई.डी.बी.आई. बैंक लि.

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

शाखा चंपापुरा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, श्रवण पुत्र भूराराम हि. 1/12 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 155 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/292 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 157/2 रकबा 5.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.70 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

2. संतोष कुमार पुत्र बृजमोहन व्यास जाति ब्राहम्ण सा. हाल निवासी प्लॉट नंबर डी. –29 प्रेम कॉलोनी, पानीपेच जयपुर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 157/1 रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 हेक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 20.11.2024 को जारी किया।

दस्तखत ——
ओहदा ——

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर)

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:41:31 IST
Reason: SelfAttested